



उत्तराखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

का

वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों

पर

**बजट भाषण**

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मुझे अपनी सरकार का राज्य की चौथी विधान सभा में राज्य का चौथा आय-व्ययक प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात का अत्यन्त हर्ष है कि प्रदेशवासियों की जो अपेक्षाएं, आशाएं हमारी सरकार से हैं, उनको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। हमारे गत वर्षों के बजट एवं राज्य का सर्वांगीण विकास इसका साक्षी है।

मान्यवर,

मैं, आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2020-21 का आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अंक में इस धरा की रहा हूँ सदा।

स्रोत हूँ, अनवरत ही बहा हूँ सदा।।

राह मेरी रही कब सहज आज तक।

चीर के पत्थरों को चला हूँ सदा।।

2. हमारा यह बजट नवीन आकांक्षाओं, नवीन आशाओं एवं प्रदेश के निर्बल वर्ग की आवश्यकताओं से प्रेरित बजट है। यह आय-व्ययक प्रदेश की आर्थिक नीतियों के प्रति जनसामान्य की अपेक्षाओं का प्रतिबिम्ब है। खुश रहे किसान, आबाद रहे गांव, मजबूत मातृशक्ति, युवाओं को मिले काम, सस्ता एवं बेहतर इलाज, गुणवत्तापरक शिक्षा, स्वच्छ जल, उचित पोषण इसके आधार हैं।
3. इस बजट की निर्माण प्रक्रिया में मोबाइल एप, बजट वेबसाइट एवं my gov आदि माध्यमों से प्रदेश ही नहीं वरन् देश की जनता से सुझाव प्राप्त किये गये। यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि हमें इस सम्बन्ध में सैकड़ों की संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो एक ओर जनसामान्य की जागरूकता एवं सहभागिता का परिचायक हैं वहीं दूसरी



ओर यह जनोन्मुख आय-व्ययक निर्माण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम सिद्ध हुआ है ।

4. राज्य के स्तर पर देखा जाये तो सरकार ने अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किये हैं एवं भविष्य हेतु प्रतिमान भी स्थापित किये हैं। सरकार द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत अनेक विकासपरक योजनाएं संचालित हैं एवं सर्वांगीण विकास हेतु नवीन योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं। सरकार का यह स्पष्ट मत है कि समस्त विभागों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना अत्यन्त आवश्यक है।
5. सुशासन में नीति आयोग द्वारा गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तराखण्ड राज्य को हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जो कहीं न कहीं हमारे सुशासन का प्रतीक है।
6. मा० प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 1.052 से बढ़ाकर 1.104 कर दिया गया है, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष लगभग ₹0 300 से ₹0 400 करोड़ का लाभ होगा। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को राजस्व घाटा अनुदान दिये जाने की संस्तुति की गई है, जिसके फलस्वरूप राज्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग ₹0 5000 करोड़ की प्राप्ति की सम्भावना है। मैं इस हेतु 15वें वित्त आयोग का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि आगामी वर्षों में भी प्रतिवर्ष इतनी ही धनराशि की प्राप्ति होगी।
7. सरकार जनकल्याण के 25 लक्ष्यों को 2020 तक प्राप्त करने हेतु अत्यन्त महत्वाकांक्षी विजन-2020 कार्ययोजना के अन्तर्गत कार्य कर रही है एवं इस कार्ययोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। मुझे यह अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी की गयी DBT में राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखण्ड को



राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। यह हमारे विजन-2020 की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है।

8. सुशासन एवं जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अन्तर्गत विभिन्न अनियमितताओं की समयबद्ध जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने हेतु एक समान कार्य प्रवृत्ति वाले विभागों के एकीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। सरकारी कार्यों की समयबद्धता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु ई-ऑफिस प्रणाली शीघ्र लागू की जायेगी।
9. सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस की दिशा में प्रभावी पहल करते हुए ई-मंत्रिमण्डल प्रणाली को लागू करते हुए मंत्रिमण्डल के निर्णयों के क्रियान्वयन का पेपरलेस अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाने की कार्यवाही की गयी है। इसी प्रकार जनसामान्य को नागरिक सेवाएं सुविधाजनक, प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक प्रदान करने हेतु 82 सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी हैं एवं 100 सेवाएं शीघ्र ही उपलब्ध करायी जायेंगी।
10. सीएम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड 'उत्कर्ष' के माध्यम से प्रत्येक विभाग की मॉनिटरिंग सीएम ऑफिस द्वारा किये जाने के फलस्वरूप परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने अपने पेंशनरों को डिजिटल माध्यम से ई-जीवन प्रमाणपत्र प्रदान करने की सुविधा प्रदान की है।
11. सरकार सड़क सुरक्षा के अपने दायित्वों का भी पूर्ण सजगता से निर्वहन कर रही है। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों की संख्या में कमी आयी है। इससे



पर्यटकों में राज्य की सड़क मार्ग व्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है।

12. मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष के त्वरित विकास हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण ग्रोथ सेंटर योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो गया है। दिसम्बर 2019 तक 83 ग्रोथ सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ये ग्रोथ सेंटर मुख्यतः एग्री बिजनेस, मसाले, प्रसाद निर्माण, आई0टी0, दुग्ध, एल0ई0डी0, हस्तशिल्प, ऊन व मत्स्य तथा डेमस्क रोज पर आधारित हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार का यह प्रयास होगा कि राज्य की प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक ग्रोथ सेंटर की स्थापना की जाये।
13. किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजना के माध्यम से खाद्यान्न का क्रय किया जा रहा है। उत्तराखण्ड की परम्परागत फसलों की उत्पादन लागत के अनुमान ज्ञात कर इन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर किसानों को लाभान्वित करने हेतु मण्डुवा, साँवा, उड़द, गहत, मसूर आदि का सर्वेक्षण करके अनुमान तैयार करने हेतु 'कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण योजना' प्रारम्भ की जा रही है।
14. "मानव-वन्य जीव संघर्ष" शीर्षक से जंगली जानवरों द्वारा किये जाने वाले जान-माल की क्षति को प्राकृतिक आपदा की सूची में सम्मिलित कर राज्य आपदा मोचन निधि से राहत सहायता अनुमन्य की गयी है।
15. युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं एवं नीतियां यथा मा0 मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति-2019, अन्तःशिक्षुता नीति-2019 आदि प्रख्यापित की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु नवीन योजनाएं जैसे



मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोक-थाम योजना, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना आदि प्रस्तावित की गयी हैं। उक्त के अतिरिक्त इस आय-व्ययक में अनेक बाह्य सहायतित, नाबार्ड पोषित विकास योजनाओं हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

16. पलायन को रोकने एवं रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पलायन रोक-थाम योजना के अन्तर्गत पलायन प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। इस योजना हेतु इस आय-व्ययक में रू0 18 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार प्रदेश के सभी, विशेष कर पलायन प्रभावी ब्लॉकों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू0 15 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
17. सरकार राज्य की युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ ही रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु शीघ्र ही उत्तराखण्ड युवा आयोग का गठन करेगी साथ ही रोजगार प्रदाता एवं युवाओं को एक मंच पर लाने हेतु कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जायेगा।
18. प्रदेश के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का हुनर-विशेष सीखने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षता योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजनान्तर्गत उनको एक निश्चित धनराशि प्रदान की जायेगी।
19. राज्य में स्वरोजगार प्रदान करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसम्बर, 2019 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1341 लाभार्थियों को रू0 75.30 करोड़ तथा वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 151 लाभार्थियों को रू0 18.45 करोड़ के ऋण वितरित किये गये हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत 167437 लाभार्थियों को रू0 2019.70 करोड़,



स्टैण्ड अप इण्डिया योजना में 233 लाभार्थियों को रू0 49.87 करोड़, के ऋण वितरित किये गये।

20. सरकार के गठन के उपरान्त सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अध्यापक, एल0टी0 संवर्ग एवं प्रवक्ता संवर्ग में कुल 3228 पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 3063 पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में विगत माह तक कुल 872 कार्मिकों की भर्ती कर रोजगार का सृजन किया जा चुका है एवं आगामी वर्ष 2020-21 में कुल 1224 कार्मिकों की भर्ती की जायेगी।
21. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में 172 महिला एस0एच0जी0 का गठन कर 403 लाभार्थियों को व्यक्तिगत ऋण वितरण किया गया है।
22. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान समय तक कुल 28368 स्वयं सहायता समूहों, 1550 ग्राम संगठनों व 79 क्लस्टर स्तरीय संगठनों का गठन किया गया है एवं कुल 18029 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड व 5626 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान की गयी है। 15352 सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करते हुये 6236 समूहों का वित्त पोषण बैंकों द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत रू0 76 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
23. राज्य के पहले निवेशक सम्मेलन-“डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड” में रू0 1.24 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के कुल 601 एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये गये थे। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में से जनवरी, 2020 तक अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से 457 बृहद, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम परियोजनाओं की ग्राउण्डिंग की जा चुकी है जिनसे रू0 21270.97 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 57314 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

24. विदेशों में बसे उत्तराखण्ड वासियों को अपने जड़ों से जोड़ने एवं प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहन हेतु अलग से विभाग/प्रकोष्ठ बनाया जायेगा।
25. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्ग दर्शन में केदारनाथ धाम को और भव्यता प्रदान की गयी है। यह राज्य सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि 2018 में जहां 26 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा की वहीं वर्ष 2019 में यह संख्या 32 लाख से भी अधिक हो गई है, जिससे स्थानीय रोजगार भी सृजित हुए हैं। चार धाम क्षेत्रों के सुनियोजित विकास एवं स्थानीय निवासियों की आर्थिकी को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य/श्रद्धालुओं को सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम लागू किया गया है।
26. प्रदेश में जनसहभागिता से शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, अपराधों पर नियंत्रण एवं पर्यटन गतिविधियों का सुचारु संचालन बनाये रखने हेतु पुलिस विभाग का निरन्तर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस आय-व्ययक में पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सेक्टर अन्तर्गत धनराशि प्रस्तावित की गयी है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु पुलिस चौकियों के सृजन एवं उच्चीकरण की कार्यवाही निरन्तर गतिमान है। आगामी 'कुम्भ मेला 2021' के दृष्टिगत रू0 60.12 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए इस आय-व्ययक में पुलिस एवं जेल विभाग अन्तर्गत कुल रू0 2174.33 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

### कृषि, औद्यानिकी एवं सहकारिता

27. 'किसान की उन्नति राज्य की प्रगति' की भावना के अनुरूप किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में सरकार द्वारा कई अभिनव कार्य



किये गये हैं। यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि गत तीन वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है एवं वर्ष 2019-20 में इसके 19.44 लाख मैट्रिक टन रहने की सम्भावना है।

28. मृदा की उत्पादकता बढ़ाने एवं मृदा स्वास्थ्य के परीक्षण कराये जाने के लिए राज्य की समस्त 8 लाख 82 हजार जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तथा डी0बी0टी0 के कारण वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2019-20 तक 1.17 लाख मैट्रिक टन (अधिकांशतः यूरिया) उर्वरकों की कम बिक्री हुई है। इससे लगभग 176 करोड़ रुपये के रासायनिक उर्वरकों का कम विक्रय हुआ, जिससे लगभग 188 करोड़ रुपये राजकीय अनुदान धनराशि की बचत एवं जैव उर्वरकों की खपत में 90 मैट्रिक टन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की खपत में 474 मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है।
29. उत्तराखण्ड राज्य जैविक कृषि विधेयक लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। यह विधेयक राज्य में जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात/व्यापार एवं प्रसंस्करण में लगी निजी एजेन्सियों, एन0जी0ओ0 को भी विनियमित करेगा। इस अधिनियम के तहत क्रेता संस्थाओं का राज्य में निःशुल्क पंजीकरण किया जायेगा।
30. रबी खरीद वर्ष 2019-20 में कृषकों से खरीदे गये गेहूँ की समस्त मात्रा का भुगतान, सम्बन्धित कृषकों को, ऑनलाइन किया जा चुका है। रबी खरीद सत्र 2020-21 के अन्तर्गत कृषकों से क्रय किये जाने वाले गेहूँ व खरीफ सत्र 2020-21 के अन्तर्गत धान के भुगतान हेतु कुल रू0 2300 करोड़ का प्राविधान इस आय-व्ययक में किया गया है।
31. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत 6.87 लाख कृषक लाभान्वित किए जा चुके हैं एवं शेष को भी योजना से जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्तर्गत कृषकों को पंजीकृत किया जा रहा है।



32. भारत सरकार की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक विभिन्न विभागों/संस्थाओं की 66 परियोजनाओं पर कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में इस योजना हेतु रू0 53 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
33. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के मध्य गैप फिलिंग करते हुए कृषि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू0 18 करोड़ प्रस्तावित हैं। इस योजना से कृषकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ-साथ उनकी आय में वृद्धि होगी।
34. मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक कम मूल्य पर कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्रों में 'फार्म मशीनरी बैंक' एवं मैदानी क्षेत्रों में 'कस्टम हायरिंग सेन्टर' स्थापित किये जा रहे हैं। गत तीन वर्षों में दिसम्बर, 2019 तक कुल 1051 'फार्म मशीनरी बैंक' एवं 147 'कस्टम हायरिंग सेन्टर' स्थापित कर 9600 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 500 'फार्म मशीनरी बैंक' एवं 800 'कस्टम हायरिंग सेन्टर' स्थापित किये जायेंगे।
35. क्लस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत 11700 हेक्टेयर पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण के अन्तर्गत संतृप्त हो गयी है तथा 78000 हेक्टेयर में पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण की कार्यवाही गतिमान है। इस योजना अन्तर्गत चयनित गंगा बेसिन पर बसे ग्राम पंचायतों में जैविक कृषि के प्रयोग से गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले रसायनिक रेसीड्यू (Residue) में कमी आयेगी।



36. प्रदेश के मैदानी भागों में गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है, अतः इसकी उत्पादकता में वृद्धि हेतु भी सरकार कार्यरत है। प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसका लाभ अधिक गन्ना उत्पादकता के रूप में सामने आया है। पेराई सत्र 2019-20 में अगेती गन्ना प्रजाति का गन्ना क्षेत्रफल 90 प्रतिशत पहुंच चुका है, जिसे आगामी पेराई सत्र 2020-21 में 90-100 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है।
37. राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु ऐथेनॉल उत्पादन संयंत्र लगाये जाने के लिये अध्ययन कराया गया है तथा मिलों के आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित है, जिससे गन्ना उद्योग तथा कृषकों दोनों की स्थिति में आशातीत सुधार होगा।
38. पेराई सत्र 2019-20 हेतु राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बन्धक कैश क्रेडिट क्लीन एवं दृष्टिबन्धक ऋण सीमा की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित बैंकों को रू0 399.00 करोड़ की शासकीय गारण्टी प्रदान की गई है।
39. राज्य सरकार द्वारा बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित व पूर्ण भुगतान कराये जाने हेतु प्रदेश की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन दिये जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गयी है। किसानों को अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू0 240 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
40. राज्य में गन्ना किसानों के हितों के दृष्टिगत गुड़ उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019-20 में खाण्डसारी नीति निर्गत की गई है।
41. राज्य में पलायन रोकने एवं कृषकों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से एन0सी0डी0सी0 द्वारा वित्त पोषित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना



राज्य की एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के द्वारा सहकारी सामूहिक खेती के माध्यम से ग्राम स्तर पर अनुपयोगी/अप्रयुक्त कृषि भूमि में अदरक, पुष्प, सेब, लेमन ग्रास, हल्दी एवं साईलेज हेतु मक्का आदि का उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस हेतु रू0 100 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित की गयी है।

42. प्रदेश में दुग्ध सहकारिताओं के सम्पूर्ण विकास एवं उनकी आवश्यकताओं हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित रू0 444.62 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी हैं। योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को 20 हजार दुधारू पशु क्रयार्थ ऋण एवं राज सहायता की व्यवस्था की गयी है।
43. ग्रामीणों को वित्तीय समावेशन का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी सहकारी बैंकों की शाखाएं स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
44. राज्य में संचालित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कार्यों में पारदर्शिता लाने, सुगम बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने एवं समितियों की नयी शाखाएं खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन समितियों के कम्प्यूटराईजेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
45. राज्य की महत्वाकांक्षी दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत कृषि लागत को कम करने हेतु लघु, सीमान्त कृषकों को रू0 1.00 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को रू0 5.00 लाख तक का ब्याज रहित फसली ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत फरवरी, 2020 तक 109276 सदस्यों एवं 981 स्वयं सहायता समूहों को लगभग रू0 595 करोड़ का अल्पकालीन एवं मध्यकालीन फसली ऋण वितरित किया जा चुका है।



वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु इस योजनान्तर्गत रू0 27 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

### पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य

46. पशुपालन से सम्बन्धित गतिविधियां उत्तराखण्ड राज्य के किसानों की आय वृद्धि के साथ ग्रामीण आर्थिकी का भी महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्ष 2019 की अनन्तिम राष्ट्रीय पशुधन संगणना के अनुसार राज्य में कुल पशु सम्पदा 44 लाख व कुक्कुट सम्पदा 50 लाख है।
47. नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजना के अन्तर्गत मेरिनो नस्ल की 200 भेड़ें तथा 40 नर मेढ़ों का आस्ट्रेलिया से आयात कर राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, कोपड़धार में व्यवस्थित किये गये हैं। भेड़पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार होने से उनकी आर्थिकी में सुधार के साथ ही उन्हें स्वरोजगार भी उपलब्ध हो जायेगा।
48. खुरपका-मुंहपका रोग पर वर्ष 2025 तक नियंत्रण पाने एवं वर्ष 2030 तक इस रोग का पूर्ण रूप से उन्मूलन किये जाने के लक्ष्य के दृष्टिगत 'राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम' में गाय भैसों के साथ ही बकरी, भेड़ एवं सूकरों में भी खुरपका-मुहपका रोग का टीकाकरण प्रत्येक 06 माह में वृहद् रूप में किया जा रहा है।
49. राजकीय पशु चिकित्सालयों को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत आधुनिक तकनीक के उपकरण स्थापित कर गंभीर रूप से घायल/बीमार पशुधन को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु नयी योजना प्रारम्भ की गयी है।
50. राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत देश की प्रथम राजकीय लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर-ऋषिकेश में की गयी है। प्रयोगशाला द्वारा

वर्तमान तक 163429 डोज लिंग वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन तथा 25456 डोज का विक्रय किया जा चुका है।

51. पशुपालकों को ससमय चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु साईलेज एवं पशु आहार के ढुलान के लिए परिवहन सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिगत एन0सी0डी0सी0 अन्तर्गत 'पशुचारा परिवहन योजना' प्रारम्भ की गयी है, जिसमें पशु आहार एवं साईलेज के दुग्ध उत्पादन के द्वार तक के ढुलान व्यय पर शतप्रतिशत राज सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।
52. राज्य में पशुओं के अच्छी गुणवत्ता के कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा एक नयी योजना पैरावेट को कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना से दूरस्थ क्षेत्रों में भी पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार एवं पशु संख्या में वृद्धि होगी।
53. वर्ष 2022 तक मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य पालकों की आय दोगुना किये जाने के लक्ष्य के दृष्टिगत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के ब्लू रिवोल्यूशन कार्यक्रम अन्तर्गत कुल रू0 28.81 करोड़ के विभिन्न प्रोजेक्ट स्वीकृत कराते हुए संचालित किये गये।
54. मत्स्य प्रसंस्करण व्यवसाय को स्थापित करने हेतु मोबाइल फिश स्टॉल एवं ई-रिक्शा आधारित मोबाइल फिश स्टॉलो की स्थापना की गयी है। उक्त योजनाओं के संचालन से इस अवधि में कुल 1043 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष रोजगार एवं 3129 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किये गये।
55. राज्य में मात्स्यिकी विकास गतिविधियों को सहकारिता के माध्यम से विस्तारित कर मत्स्य उत्पादन में आशातीत वृद्धि हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक कृषक सहकारिता एकीकृत योजना के अन्तर्गत मत्स्य क्षेत्र के विकास हेतु रू0 164.49 करोड़ की विभिन्न परियोजनायें स्वीकृत कराते हुए योजना का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। उपरोक्त योजना एवं



एन0सी0डी0सी0 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के बेहतरीन अवसर सृजित करने हेतु 'ट्राउट फार्मिंग परियोजना' जबकि राज्य के मैदानी जनपदों में निर्बल मछुवा समुदाय की समितियों एवं व्यक्तियों को सशक्त किये जाने हेतु मेजर कार्प फार्मिंग, पंगेशियस फार्मिंग, समन्वित मत्स्य पालन, प्रदूषण मुक्त तालाब जैसी योजनाओं का संचालन किया जायेगा। इस योजना से लगभग 2500 प्रत्यक्ष एवं 7500 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

56. वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु विभिन्न राज्य, केन्द्रपोषित एवं नाबार्ड पोषित योजनाओं में पशुपालन विभाग हेतु कुल रू0 414.35 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

#### ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज

57. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह नवम्बर, 2019 तक कुल 1662.22 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी तथा कुल 552.39 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। 54562 परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया तथा कुल 228293 कार्य पूर्ण कर स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु इस योजना अन्तर्गत रू0 266.77 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
58. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजनान्तर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों के कुल 25000 के सापेक्ष 14200 का लक्ष्य आंशिकतः किया जा चुका है। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कुल 14484 युवक-युवतियों को प्रशिक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष अब-तक कुल 14200 युवक-युवतियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य नवीन चयनित 28 पी0आई0ए0 को आंशिकतः किया जा चुका है।

59. राज्य के सीमान्त क्षेत्रों के विकास एवं पलायन की रोकथाम तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत रू0 20 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

### अधोसंरचना विकास

60. बेहतर रोड कनेक्टिविटी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। गत तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा 2027.34 किमी0 मार्गों का नव निर्माण 2374.20 किमी0 लम्बाई में पुनः निर्माण व 205 न0 सेतुओं का निर्माण करते हुए 353 ग्रामों को संयोजकता प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवम्बर माह तक 381 किमी0 मार्गों का निर्माण, 697 किमी0 मार्गों का पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण, 20 सेतुओं का निर्माण तथा 47 ग्रामों को जोड़ते हुए 863.89 किमी0 लम्बाई में मार्गों का नवीनीकरण कार्य किया गया है। वर्तमान तक अनुरक्षण मद में 2226 किमी0 मार्गों का नवीनीकरण पूर्ण किया गया है।
61. मार्गों का अनुरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण हेतु रू0 180 करोड़ की धनराशि प्राविधानित थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर रू0 300 करोड़ कर दी गयी है।
62. सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के 150 से अधिक जनसंख्या वाले सीमावर्ती गांवों की सड़क संयोजकता सुनिश्चित की जायेगी।
63. जनपद देहरादून के अजबपुर रेलवे क्रासिंग, आई0एस0बी0टी0 के निकट दो लेन अतिरिक्त फ्लाई ओवर का निर्माण, हरिद्वार में डौसानी रेलवे क्रासिंग के स्थान पर 02 लेन का आर0ओ0बी0 का निर्माण, नरेन्द्र नगर रानी-पोखरी मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य, एवं डाट काली टनल सहित कई फ्लाई ओवर परियोजनाओं का



निर्माण किया जा चुका है। टिहरी में डोबरा चांठी मोटर झूला पुल का कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

64. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी प्रकार मुजफ्फरनगर-रूड़की रेल मार्ग का कार्य प्रगति पर है। इस हेतु इस आय-व्ययक में रू0 70 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
65. वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के 269 ग्रामों को ग्रामीण मोटर मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। इन मोटर मार्गों से कुल 95416 जनसंख्या लाभान्वित हो चुकी है तथा मार्च 2020 तक 67 गांवों को ग्रामीण मोटर मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है।
66. वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में नाबार्ड पोषित योजनाओं के अन्तर्गत रू0 300 करोड़ को सम्मिलित करते हुए लोक निर्माण विभाग हेतु लगभग रू0 2055.56 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।
67. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु ग्रीन टैक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड राज्य को वर्ष 2018-19 में 2510 कि०मी० लम्बाई के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में 1756 किमी० सड़कों का निर्माण किये जाने पर देश में द्वितीय एवं **Investment on Asset Management** में देश में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया है तथा राज्य की सराहना की गई है। सड़क निर्माण में और तीव्रता लाने हेतु वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में इस योजना हेतु रू0 1072 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
68. चारधाम योजना के अन्तर्गत रू0 4731.89 करोड़ की धनराशि के कार्य स्वीकृत हुए हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत रू0 121.61 करोड़ के 02 कार्य पूर्ण एवं रू0 8277.36 करोड़ के 36 कार्य प्रगति में हैं, जिसके



सापेक्ष 241 किमी० में डामरीकरण स्तर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

69. सरकार नदियों व जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। प्रदेश में अति महत्वपूर्ण जलनीति को प्रख्यापित किया गया है। राज्य को नदियों के पुनर्जनन, विकास व संरक्षण में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 प्राप्त हुआ है एवं कोसी नदी पुनर्जनन अभियान के लिए अल्मोड़ा को उत्तर जोन के तहत सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयनित किया गया है। हमारे अथक प्रयास से केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 1203 करोड़ रुपये के उत्तराखण्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। मैं, इस हेतु केन्द्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस योजना से प्रदेश की सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी एवं नवीन जलाशयों के निर्माण से कृषि उत्पादन बढ़ेगा एवं भूमिगत जल स्तर रिचार्ज होगा।
70. मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए अत्यन्त गर्व का अनुभव हो रहा है कि उत्तराखण्ड का जनमानस भी जलप्रबन्धन हेतु अत्यन्त सजग है। मा० प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 'मन की बात' में ताड़ीखेत ब्लॉक (जनपद-अल्मोड़ा) के सुदूर सुनियाकोट गांव के लोगों की जीवटता, जनभागीदारी की भावना का उल्लेख किया जाना इसका एक प्रमाण है।
71. सिंचाई विभाग द्वारा जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गौला नदी पर बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें जनपद नैनीताल में गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 किमी० अपस्ट्रीम में 136.60 मी० ऊँचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध निर्मित किया जायेगा, के लिए लगभग सभी आवश्यक सैद्धान्तिक स्वीकृतियां एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं। इस परियोजना हेतु बाह्य सहायतित योजना के रूप में (ADB) से वित्त पोषण हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति



प्रदान कर दी गई है। इस योजना अन्तर्गत पुनर्वास आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रू0 220 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

72. देहरादून के नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिए लगभग 50 वर्षों तक 150 एम0एल0डी0 पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सिंचाई विभाग द्वारा सौंग नदी पर लगभग रू0 1345.00 करोड़ की लागत से सौंग पेयजल बांध योजना विचाराधीन है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में इस योजना के अन्तर्गत पुनर्वास हेतु रू0 130 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
73. सिंचाई विभाग द्वारा विभाग में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थित हरिपुरा एवं तुमरिया जलाशय की खाली भूमि पर 40 मे0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट के स्थापना की योजना तैयार की है। योजना से लगभग 40 मे0वा0 ग्रीन पावर का उत्पादन होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये।
74. सिंचाई विभाग अन्तर्गत जलाशय निर्माण एवं सिंचाई योजनाओं हेतु लगभग रू0 1200 करोड़ की बाह्य सहायतित योजना (AIIB) की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है। मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों से विभिन्न जनपदों में झील/जलाशय का निर्माण प्रगति पर है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में गैरसैण सहित अनेक स्थानों में झीलों/जलाशयों का निर्माण किया जायेगा। यह पेयजल, सिंचाई तथा जल संरक्षण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है।
75. नदियों का पुनर्जीवन राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस हेतु कोसी, रिस्पना नदियों पर कार्य किया जा रहा है एवं अन्य जनपदों में भी इस हेतु नदियों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।



76. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत 'हर घर नल से जल' की आपूर्ति हेतु 184125 निजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 680 हैण्ड पम्प अधिष्ठापन, 05 मिनी नलकूप, 20 गहरे नलकूप, 810 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण, चारधाम यात्रा मार्गों में पेयजल व्यवस्था प्रबन्धन तथा 70 ग्रामीण एवं 10 नगरीय पेयजल योजना पूर्ण कर ली जायेंगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में जल जीवन मिशन अन्तर्गत रू0 134 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
77. विश्व बैंक सहायतित रू0 975 करोड़ के 'अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम' अन्तर्गत 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की लगभग 436800 जनसंख्या लाभान्वित होगी। Energy efficient pumps एवं online Monitoring प्रणाली आदि लगाकर योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव व्यय में भी अत्यधिक कमी लायी जायेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में अब तक लगभग रू0 360 करोड़ की लागत के 08 प्रोजेक्ट अवार्ड कर कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं और लगभग रू0 430 करोड़ की निविदा आगामी चार माह में आमंत्रित कर कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
78. पेयजल की दृष्टि से अधिक समस्याग्रस्त छोटे एवं मध्यम श्रेणी के 38 ऐसे दूरस्थ नगरों को पेयजल मानकों के अनुरूप पेयजल सुलभ कराने हेतु लगभग 900 करोड़ लागत की बाह्य सहायतित परियोजना पर भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। परियोजना का क्रियान्वयन अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारम्भ करते हुए अगले 04 वर्षों में समस्त कार्य पूर्ण करा लिया जाना प्रस्तावित है।
79. पर्वतीय क्षेत्रों में जनसामान्य को पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड पोषित अनेक योजनाओं जैसे अकरी बारजुला पम्पिंग पेयजल योजना (जनपद टिहरी), चिनवाड़ी डांडा एवं भैरवगढ़ी पेयजल



योजना (जनपद पौड़ी), ग्वालदम पेयजल योजना (जनपद चमोली), चौकड़ी-उड़ियारी पेयजल योजना (जनपद पिथौरागढ़) आदि संचालित की जा रही हैं। इनमें से अधिकांश योजनाओं के कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है। इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने से 700904 जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इसी वित्तीय वर्ष में 22 नई योजनाओं को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। पेयजल विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु रू0 190 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

80. केन्द्र पोषित 'नमामि गंगे परियोजना' के अन्तर्गत जहां एक ओर पेयजल विभाग के माध्यम से गंगा नदी के तट पर स्थित 15 प्राथमिकता के नगरों में एस0टी0पी0 के निर्माण सम्बन्धी कार्य पूर्ण किये जा रहे हैं वही दूसरी ओर सिंचाई विभाग एवं वैपकोस के माध्यम से 44 स्थानों पर गंगा नदी के किनारे लगभग रू0 192.08 करोड़ लागत के स्नान घाट एवं शमशान घाट के निर्माण का कार्य भी कराया गया है।
81. कोसी नदी एवं रिस्पना नदी में हो रहे प्रदूषित जल प्रवाह को रोकने हेतु रामनगर में रू0 54.40 करोड़ तथा देहरादून में रू0 60.01 करोड़ लागत की दो परियोजनाओं की स्वीकृति 'नमामि गंगे परियोजना' के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त की गयी है। रामनगर (कोसी) परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है और देहरादून (रिस्पना) से सम्बन्धित परियोजना की निविदा प्रक्रिया गतिमान है एवं शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
82. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 641 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किए जा चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत 668 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया गया है। 85 ग्रामीण योजनाएं तथा 04 नगरीय योजनाएं पूर्ण कर पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी हैं।
83. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनान्तर्गत निर्धारित अनुदान राशि DBT के माध्यम से सीधे पात्र लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की



जा रही है। योजनान्तर्गत पात्र पाये गये कुल 12666 लाभार्थी परिवारों के सापेक्ष कुल 12617 आवासों की स्वीकृति जारी करते हुए कुल 12332 आवास पूर्ण कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष हेतु इस योजना में रू0 149 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है।

### आवास एवं शहरी विकास, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा

84. नवसृजित विकास प्राधिकरणों में सुलभ संचालन हेतु 571 पदों का सृजन किया गया है तथा वर्तमान में विकास प्राधिकरणों में प्रतिनियुक्ति तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती गतिमान है।
85. स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत रू0 1020.53 करोड़ की योजनाओं के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। इन्टीग्रेटेड कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा गुड गवर्नेंस डे 25 दिसम्बर, 2019 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रकार देहरादून स्मार्ट सिटी विगत लगभग 2 वर्ष में लगातार प्रगति करते हुए देश के 100 स्मार्ट सिटी में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए जनवरी 2020 में 19वीं रैंक में पहुंच गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में स्मार्ट सिटी हेतु रू0 123 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
86. उत्तराखण्ड मेट्रो रेल परियोजना हेतु डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है। बहादुराबाद, हरिद्वार से मुनि की रेती ऋषिकेश तक प्रथम कॉरिडोर के निर्माण हेतु सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है। मेट्रो रेल की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण आदि कार्यों के लिए इस आय-व्ययक में रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
87. बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए बाल अनुकूल क्षेत्र के निर्माण, सुलभ आवागमन सुविधा, सुरक्षित वातावरण प्रदान करने आदि हेतु City Investment to Innovate Integrate & Sustain (CITIIS) के



अन्तर्गत रू0 58 करोड़ की चाइल्ड फ्रैण्डली सिटी से संबंधित योजना भी गतिमान है।

88. नगर निकायों में चौबीस घंटे पानी की सुविधा, अपशिष्ट जल प्रबन्धन, सड़कों व पार्किंग का निर्माण कर यातायात प्रबन्धन, छोटे फुटकर व्यापारियों हेतु वैन्डिंग जोन का निर्माण आदि हेतु बाह्य सहायतित योजना एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के अन्तर्गत लगभग रू0 1400 करोड़ की योजना को भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है एवं डी0पी0आर0 निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
89. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में कुल 16798 आवासों एवं 13180 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त करते हुए आवास कार्य प्रगति पर है। क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास घटक (सी0एल0एस0एस0) में 6269 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15000 आवासों का निर्माण किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 95 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
90. आवास विभाग द्वारा राज्य में जनसामान्य हेतु विभिन्न नियमों का सरलीकरण करते हुए उत्तराखण्ड आवास नीति के अन्तर्गत निम्न व दुर्बल आय वर्गों हेतु आवास बनाये जाने के लिए कृषि भू-उपयोग परिवर्तन निःशुल्क रखा गया है तथा ई0डब्ल्यू0एस0 आवास हेतु स्टाम्प ड्यूटी को लाभार्थियों हेतु रू0 5000 किया गया है। राज्य में हरित भवन निर्माण को बढ़ावा दिये जाने हेतु हरित भवनों के प्रस्तावों को 0.5 अतिरिक्त एफ0ए0आर0 निशुल्क प्रदान किया जाना प्राविधानित किया गया है।



91. राज्य की पारम्परिक भवन निर्माण शैली से भवन निर्माण कार्यों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु भवनों के फसाड (Facade) को पारम्परिक भवन निर्माण शैली के अनुरूप परिवर्तित किये जाने पर निर्माणकर्ता को उत्तराखण्ड फसाड नीति, 2019 में एक अतिरिक्त तल प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।
92. स्वच्छता हमारी प्रतिबद्धता है। जल, जंगल व जमीन की स्वच्छता हमारी प्राथमिकताओं में हैं। मैं, सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि देहरादून ओडीएफ डबल प्लस पाने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण, 2019 की दिशा में यह एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत वर्तमान में 19900 व्यक्तिगत शौचालय, 945 सामुदायिक शौचालय, 350 सार्वजनिक मूत्रालय का कार्य पूरा हो चुका है तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 1170 वार्डों के घरों से कूड़ा एकत्र किया जा रहा है तथा 683 वार्डों में **Source Segregation** किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, 6339 व्यक्तिगत शौचालय, 730 सामुदायिक शौचालय, 500 मूत्रालय का निर्माण के साथ-साथ निकायों में ठोस अपशिष्ट का क्रियान्वयन तथा आईईसी का कार्य किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु इस योजना अन्तर्गत रू० 114.12 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
93. नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (एडीबी) द्वितीय चरण के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, कोटद्वार, नैनीताल, और रामनगर में पेयजल अपव्यय तथा क्षरण में कमी किए जाने हेतु पेयजल, व्यापक ठोस अपशिष्ट प्रणाली की स्थापना, यातायात प्रबन्धन के सुधार कार्य, सीवरेज सम्बन्धित विकास कार्य आदि के अन्तर्गत लगभग रू० 900 करोड़ की सैद्धान्तिक सहमति मिल गई है।



वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में इस हेतु रू0 103 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।

94. 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर निकायों हेतु कुल रू0 278 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी जोकि 14वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 47.73 प्रतिशत अधिक होगी।
95. नगरीय स्थानीय निकायों के सुदृढीकरण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्रदेश की समस्त नगरीय स्थानीय निकायों हेतु कुल रू0 774.24 करोड़ एवं पंचायतीराज संस्थाओं हेतु रू0 443.43 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।
96. इसी कड़ी में स्थानीय स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों हेतु जिला योजना अन्तर्गत लगभग रू0 665 करोड़ की धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित है।
97. ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इंटीग्रेटेड रेटिंग्स ऑफ यूटिलिटीज में उपाकालि को लगातार तीन वर्षों से A<sup>+</sup> की शीर्ष श्रेणी पर रखा गया है। साथ ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं 1912 हैल्पलाइन सेवा के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण में उत्तराखण्ड राज्य तृतीय स्थान पर है।
98. उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत चिन्हित 94 अविद्युतीकृत ग्रामों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य निर्धारित समयावधि से पूर्ण किया गया है।
99. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" के अन्तर्गत प्रदेश के सभी इच्छुक अविद्युतीकृत घरों/परिवारों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को निर्धारित समयावधि 31.03.2019 तक पूर्ण

किया गया एवं योजना अवधि में कुल विद्युतीकृत 250170 घरों/परिवारों में से 5271 घरों/परिवारों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया।

100. आईपीडीएस के तहत रू0 388.49 करोड़ की लागत से हरिद्वार (कुम्भ क्षेत्र) में विद्युत लाइनों को भूमिगत किये जाने के साथ-साथ देहरादून एवं हरिद्वार जनपदों के सरकारी भवनों पर रू0 17.99 करोड़ की लागत से रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।
101. केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पथ-प्रकाश हेतु 19665 सोलर स्ट्रीट लाईटों की स्थापना का कार्य तथा प्रदेश के समस्त 13 जनपदों में से एक-एक ग्राम को "ऊर्जा दक्ष ग्राम" के रूप में विकसित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।
102. उजाला कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में वर्तमान तक 55 लाख से अधिक एल0ई0डी0 बल्बों का वितरण किया गया है। जिससे प्रतिवर्ष 716 मिलियन यूनिट की विद्युत खपत में कमी, प्रतिवर्ष रू0 287 करोड़ की बचत एवं 5.8 लाख मैट्रिक टन कार्बनडाई आक्साइड के उत्सर्जन में कमी हुई है।
103. वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की दिशा में 120 मे0वा0 क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। इसके साथ ही बगास आधारित 02 परियोजनाओं नादेही (16 मे0वा0) एवं बाजपुर (22 मे0वा0) के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।
104. सरकार का वित्तीय वर्ष 2020-21 में 200 मे0वा0 क्षमता की सोलर पावर प्लांट परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत कुल 283 उद्यमियों को 203 मे0वा0 क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं की स्थापना से



प्रदेश में लगभग 800 करोड़ का पूंजी निवेश होगा एवं स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।

105. राज्य सरकार द्वारा 'पिरूल तथा अन्य प्रकार के बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु नीति-2018' के अन्तर्गत वर्तमान तक आमंत्रित प्रस्तावों के क्रम में प्रथम चरण में जनपद अल्मोड़ा के ग्राम नैल, स्याल्दे में आवंटित 01 ब्रिकेटिंग इकाई (2000 मि0टन) की स्थापना का कार्य माह नवम्बर, 2019 में पूर्ण हो चुका है। पिरूल से विद्युत उत्पादन की 04 परियोजनाओं का कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण होना सम्भावित है। द्वितीय चरण में प्राप्त प्रस्तावों को परियोजनाओं अनुमोदन समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा उरेडा द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को सम्बन्धित विकासकर्ताओं को LoA जारी किये जा चुके हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

106. "सबके लिये स्वास्थ्य" (Health for All) की परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच जनसामान्य तक उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार के गठन के समय विभाग में कुल 1081 चिकित्सक कार्यरत थे जो कि अब बढ़कर 2096 हो गये हैं। शीघ्र ही 314 चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए चिकित्सा चयन आयोग द्वारा तैनाती कर दी जायेगी।
107. राज्य के समस्त परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने एवं स्वास्थ्य पर होने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के दृष्टिगत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना लागू की गयी थी। इस जनकल्याणकारी योजना के अन्तर्गत गत 01 वर्ष के दौरान लगभग 38 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड



बना दिये गये हैं तथा 01 लाख 20 हजार लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपचार दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के संचालनार्थ रू0 100 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

108. यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि मातृ-मृत्यु दर घटकर 89 प्रति लाख हो गई है। राज्य में शिशु मृत्यु दर, बालिका लिंगानुपात, टीकाकरण आदि तमाम हैल्थ इंडेक्स में बहुत सुधार हुआ है। नवीनतम एस0आर0ए0 सर्वे के अनुसार शिशु-मृत्यु दर घटकर 32 प्रति हजार रह गई है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड में लिंगानुपात 886 से बढ़कर 934 प्रति हजार हो गया है।
109. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्तमान में 311 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में उच्चीकृत किया गया है तथा वर्ष 2020 में 400 अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में उच्चीकृत कर लिया जायेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के संचालनार्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में कुल रू0 380.50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
110. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत 11086 आशा कार्यकर्त्रियों के अलावा 556 नई आशा कार्यकर्त्रियों को चयन किया जाना सरकार की स्वास्थ्य सुविधा को जमीनी स्तर तक सुदृढ़ किये जाने की दिशा में एक उत्तम पहल है। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा को और सशक्त करते हुए इसके बेड़े में सभी पुरानी एम्बुलेन्स के स्थान पर 139 नई एम्बुलेन्स को प्रतिस्थापित किया गया है।



111. पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए लगभग रू0 875 करोड़ की विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत चिन्हित उपचार सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जनपद टिहरी के जिला चिकित्सालय बौराड़ी में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवायें देने के लिए निजी स्वास्थ्य प्रदाता का चयन कर कार्य प्रारम्भ हो गया है। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय पौड़ी, संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीरोंखाल तथा भिकियासैण में भी हैल्थ सिस्टम परियोजना के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार सेवाएं देने का कार्य गतिमान है। उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के संचालनार्थ आगामी आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू0 60 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।
112. सरकार, दृष्टि पत्र-2019 के लक्ष्य के अनुसार मेडिकल कॉलेजों को सुविधा सम्पन्न बनाने एवं जनसामान्य को उच्च कोटि की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 100 एम0बी0बी0एस0 की सीटों हेतु एल0ओ0पी0 व अगले सत्र से प्रवेश प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज हेतु केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार प्रयासरत है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना के अन्तर्गत रू0 110 करोड़, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हेतु रू0 89.15 करोड़ एवं दून मेडिकल कॉलेज हेतु रू0 96.79 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
113. समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों, दिव्यांगों, विधवाओं, किसानों आदि को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा एवं दिव्यांग पेंशन की वर्तमान दर रू0 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 1200



प्रतिमाह कर दी गयी है। आज राज्य देश के इस प्रकार की वृद्धि करने वाले राज्यों में अग्रणी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 475000 वृद्धजनों, 78000 दिव्यांगों, 178000 विधवाओं, 30000 किसानों एवं 5500 निराश्रित परित्यक्त महिलाओं आदि को पेंशन देकर लाभान्वित किया जायेगा। इस हेतु इस आय-व्ययक में लगभग रू0 1048.05 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

114. ऐसे वृद्धजन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं तथा एकाकी जीवन जी रहे हैं को स्वास्थ्य, भोजन एवं आवास की उचित सुविधा उपलब्ध कराने के साथ उनके एकाकीपन को दूर करने हेतु वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना अन्तर्गत धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसी क्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के निराश्रित, आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजनों के लिए गृह संचालन हेतु राज्य योजना प्रस्तावित की गयी है।
115. सरकार महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु भी कार्यरत है। माह नवम्बर, 2019 तक कुल 20028 संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 764186 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार के माध्यम से लाभान्वित किया गया है।
116. सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में और अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करेगी। इसके दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सेक्टर अन्तर्गत कुल रू0 48.60 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
117. गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए माह दिसम्बर तक प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत 37330 महिलाओं को डी0बी0टी0 के माध्यम से कुल धनराशि रू0 21 करोड़ 47 लाख 56 हजार का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है।



118. राज्य के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु कुपोषण को रोकने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित किया जा रहा है। राज्य के समस्त आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा किये गये कार्यों का प्रभावी मूल्यांकन ICDS-CAS सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने हेतु सभी कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध करवाए गए हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 45 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
119. भारत सरकार द्वारा **Field level Leadership** के लिए जनपद हरिद्वार तथा बाल विकास परियोजना बाजपुर, ऊधमसिंह नगर को सर्वोत्तम राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
120. 'हमारी कन्या हमारा अभिमान' के अन्तर्गत कन्या के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच स्थापित करते हुए जन्म के समय से ही कन्या को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु "नन्दा गौरा योजना" के अन्तर्गत राज्य में कुल 24955 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 80 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
121. राज्य में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने एवं घटते हुये लिंगानुपात को रोकने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 'मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना' प्रस्तावित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम प्रसव में बालिका के जन्म पर धात्री माताओं को किट वितरित करने हेतु रू0 17.50 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।
122. मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के अन्तर्गत राज्य में बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार, शारीरिक विकास, स्कूल पूर्व बच्चों (3 वर्ष से 06 वर्ष) को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रवेश को उत्साहित करने के लिए, बच्चों को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन केले 'बाल पलाश योजना'



के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस योजना हेतु इस आय-व्ययक में रू0 25 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना भी प्रारम्भ की जा रही है।

123. राज्य में गर्भवती/धात्री माताओं में एनीमिया एवं मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती/धात्री माताओं को अण्डा, केला एवं दूध वितरण किये जाने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
124. समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू0 2014.09 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

### विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा

125. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। विद्यालयों में संसाधनों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु इस आय-व्ययक में लगभग रू0 133 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
126. सरकार विद्यालयों को टाटपट्टी मुक्त करने का अभियान के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हर छात्र को फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2316 विद्यालयों में लगभग 123000 छात्रों को फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3 लाख से अधिक छात्रों को फर्नीचर उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार विद्यालयों में लगभग 5000 कम्प्यूटरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
127. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गयी



है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में "वर्चुअल क्लासरूम" की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत Two way Seamless Interactivity द्वारा 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विभिन्न विषयों की पढ़ाई संचालित की जा रही है।

128. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। लोक सेवा आयोग से चयनित 130 प्राध्यापकों को विभिन्न महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गयी एवं महाविद्यालयों में कार्यरत गैस्ट/संध्याकालीन शिक्षकों का मानदेय रू0 25000 से बढ़ाकर रू0 35000 किया गया है।
129. शिक्षा के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक जिले में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित किया जायेगा एवं 3000 से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। विभिन्न जनपदों में पुस्तकालयों के सुदृढीकरण हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है।
130. सरकार 2022 तक राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों के भवन बनाना सुनिश्चित करेगी। अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रूसा योजना एवं राज्य योजना अन्तर्गत रू0 78 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
131. भारत की अखण्डता, विभिन्नता में एकता के तत्वों से परिचित कराने के लिए राज्यों के शैक्षणिक संस्थानों के मध्य छात्रों और शिक्षकों का परस्पर शैक्षणिक/सांस्कृतिक भ्रमण कार्यक्रम हेतु 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसी प्रकार शिक्षकों एवं छात्र/छात्राओं को शोध एवं विकास तथा नवाचार के कार्यों के प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री नवाचार कोष की स्थापना की जा रही है।

132. इस आय-व्ययक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालयी शिक्षा हेतु रू0 7867.99 करोड़ एवं उच्च शिक्षा विभाग हेतु रू0 619.72 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

### औद्योगिक विकास

133. देश के उच्च विकास दर वाले शीर्षस्थ राज्यों में उत्तराखण्ड सम्मिलित है। इसमें औद्योगिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
134. मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित 'उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट' के अपने उद्बोधन में उत्तराखण्ड को 'स्प्रीचुल इकोनोमिक जोन' के रूप में विकसित करने का आह्वान किया गया था। इसी के दृष्टिगत वैश्विक 'वैलेनस समिट' वर्ष 2020 के अप्रैल माह के मध्य में आयोजन का प्रस्ताव है।
135. स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत अभी तक राज्य में 66 स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जा चुकी है तथा स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में 4 इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु सरकार द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति जारी की जा चुकी है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु स्टार्टअप कांउंसिल बनायी गयी है।
136. कृषकों द्वारा उत्पादित विभिन्न सगन्ध पौधों, हर्ब आदि के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर कृषकों की आय में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ऐरोमा पार्क पॉलिसी 2018 से लागू है। इसी कड़ी में एक ऐरोमा पार्क का निर्माण काशीपुर में किया जा रहा है। एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से उपरोक्त पार्क में स्थापित होने वाले उद्यमों को अनेक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे। सरकार के इस कदम से निवेश के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।



137. सरकार राज्य को इलेक्ट्रॉनिक एवं मेडिकल उपकरणों के हब के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु हरिद्वार में भूमि चिन्हित की गयी हैं। उत्तर भारत में स्थापित होने वाले इस तरह के पहले पार्क जोन की स्थापना से देश में ही चिकित्सीय उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा मिल सकेगा।
138. भारत सरकार के मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्षा उत्पादों के राज्य में निर्माण, रखरखाव एवं पुर्जों की आपूर्ति सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा ऐरोस्पेस एवं रक्षा औद्योगिक नीति जारी की गयी है। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। सरकार की विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत रू0 50 करोड़ की धनराशि का प्राविधान इस आय-व्ययक में प्रस्तावित है।
139. सरकार राज्य में औद्योगिक इकाइयों एवं औद्योगिक निवेश को विकसित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार से रानीबाग नैनीताल स्थित एच0एम0टी0 की भूमि प्राप्त किये जाने के लिए प्रयासरत है। इस हेतु इस आय-व्ययक में रू0 72 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
140. सूक्ष्म, लघु एवं माध्यमिक उद्यमों को सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 235 इकाइयों को नीति के अधीन अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अन्य विभागों द्वारा प्रख्यापित नीतियों में एमएसएमई नीति के प्रोत्साहन भी शामिल हैं। इस आय-व्ययक में उक्त योजना हेतु रू0 35 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। इसी क्रम में दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्य पूंजी उपादान सहायता अन्तर्गत रू0 20 करोड़ की धनराशि का प्राविधान इस आय-व्ययक में किया गया है।
141. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आगामी 3 वर्षों में 2,000 महिला



उद्यमियों को 25 प्रतिशत तक पूँजी निवेश उपादान एवं 6 प्रतिशत तक ब्याज उपादान के माध्यम से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

142. निवेशकों के लिये पारदर्शी एवं समयबद्ध अनुमोदनों हेतु "ईज ऑफ डुईंग बिजनेस" की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है और विभिन्न विभागों के लिये निर्धारित कार्यबिन्दुओं पर सतत् कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा की गई रैंकिंग में वर्ष 2016 में राज्य 23वें स्थान पर था और वर्ष 2017 में 9वें स्थान पर पहुंच गया। राज्य की रैंकिंग पर्वतीय राज्यों में प्रथम स्थान पर रही है।
143. 'निवेशक सुविधा एवं सहायता केन्द्र' पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2019-20 में कुल 1045 परियोजनाओं में रू0 4316.36 करोड़ का निवेश हुआ है और 31866 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्य में निवेशक प्रोत्साहन केन्द्रों की स्थापना की गई है।
144. खनिजों से निर्धारित राजस्व लक्ष्य अर्जन हेतु शासन द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 एवं उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 प्रख्यापित की गयी है।
145. खनन सर्विलांस योजना के अन्तर्गत ई-रवन्ना के सुदृढीकरण व खनिजों के परिवहन की रियल टाईम मॉनीटरिंग हेतु जी0पी0एस0 आधारित व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित किया जायेगा।

## वन एवं पर्यावरण

146. सरकार पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशील है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष 71.05 प्रतिशत क्षेत्र वनों के रूप में अधिसूचित है। राज्य के वन क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने में हमारे राज्य का महत्वपूर्ण



योगदान है। हमारे राज्य में बाघों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है एवं कार्बेट टाईगर रिजर्व में बाघों का घनत्व देश में सर्वाधिक हैं।

147. राज्य द्वारा पूरे देश को बहुमूल्य ईको-सिस्टम सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए 15वें वित्त आयोग से डीवोल्यूशन फार्मूला में वनों का अंश बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया था। 15वें वित्त आयोग द्वारा डीवोल्यूशन फार्मूला में वनों का अंश 7.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
148. उच्च हिमालय क्षेत्रों की शान कहे जाने वाले हिम तेंदुओं के संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के प्रोजेक्ट 'सिक्थोर हिमालय' के तहत गंगोत्री नेशनल पार्क में देश के पहले 'स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर' की स्थापना की जायेगी।
149. वित्तीय वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 21080 हे० में 1.89 करोड़ पौध रोपित करने का लक्ष्य के सापेक्ष 21508.39 हे० क्षेत्र में 1.94 करोड़ पौधें रोपित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में वृहद् वृक्षारोपण को सम्मिलित करते हुये 20000 हे० में वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
150. वर्षा जल संरक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा 2.78 करोड़ लीटर जल संचय के स्ट्रक्चर तैयार किये गये वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5.00 करोड़ लीटर जल संचय के स्ट्रक्चर तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
151. वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 32695 हे० में कन्ट्रोल बर्निंग एवं 2215 किमी० में फायर लाईनों का फुकान कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 40000 हे० में कन्ट्रोल बर्निंग एवं 3000 किमी० में फायर लाईनों का फुकान

कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु इस आय-व्ययक में कुल रू0 19.92 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

152. वृक्षारोपण, वर्षा जल संरक्षण के विभिन्न कार्यों आदि हेतु कैम्पा योजना अन्तर्गत इस आय-व्ययक में रू0 215 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस योजना से वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन द्वारा प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि होगी।
153. वन पंचायतों के वन आवरण में वृद्धि एवं वनों के निकटवर्ती ग्रामों की आजीविका में सुधार तथा वनों में निर्भरता कम करने हेतु जायका परियोजना अन्तर्गत इस आय-व्ययक में रू0 110 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
154. सरकार राज्य के प्रमुख शहरों में प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु प्रदूषण की स्थिति का अध्ययन कर प्रदूषण मापने हेतु उपकरणों की स्थापना करेगी।
155. पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के दृष्टिगत सरकार द्वारा पर्यावरण निदेशालय की स्थापना की गयी है। निदेशालय में विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 12.93 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

### पर्यटन, कला एवं संस्कृति

156. पर्यटन उत्तराखण्ड वासियों की आजीविका का प्रमुख आधार है। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किये जाने से वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ पर्यटन क्षेत्र को भी अनुमन्य होगा। सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2018 के अन्तर्गत पर्यटन स्थापना की इकाइयों हेतु पूर्व में भू-उपयोग परिवर्तन की दर 150 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2018 के अन्तर्गत अनुदान हेतु इस



आय-व्ययक में धनराशि का प्राविधान किया गया है। पारिस्थितिकीय पर्यटन को राजस्व अर्जन के साथ-साथ स्थानीय निवासियों की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत शीघ्र ही ईको-टूरिज्म नीति लागू की जायेगी।

157. राज्य में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा यू0टी0डी0बी0 के अन्तर्गत एडवेंचर टूरिज्म विंग की स्थापना की गयी है। स्की एण्ड स्नोबोर्ड इण्डिया की अनुमति से शीतकालीन खेलों का आयोजन औली में 07 से 11 फरवरी, 2020 में सफलतापूर्वक किया गया। इसी प्रकार राज्य को आध्यात्मिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, टिहरी लेक फेस्टिवल, उत्तराखण्ड एडवेंचर टूरिज्म समिट् आदि का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है।
158. '13 जिले-13 डेस्टीनेशन' योजनान्तर्गत पर्यटन गतिविधियों का विकास किया जा रहा है। "सुरकण्डा देवी" एवं "पूर्णागिरि देवी" रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य, केदारनाथ, नैनीताल व अन्य स्थलों पर रोपवे विकसित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न चरणों में कार्यवाही गतिमान है। सुरकण्डा देवी रोपवे का निर्माण कार्य वर्ष 2020 में पूर्ण किया जाना है। देहरादून से मसूरी तक रोपवे पी0पी0पी0 मोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन किया गया है। वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश को **Best film promotion friendly State Award, 2019** प्रदान किया गया है।
159. रोजगार के अवसर सृजित करने एवं प्रदेश से पलायन को हतोत्साहित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना अन्तर्गत होम स्टे निर्माण हेतु प्रदेश के मूल/स्थाई निवासियों को अनुदान दिये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में रू0 11.50 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस योजना अन्तर्गत



सरकार के गठन से जनवरी 2020 तक जहां 8212 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किये गये वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसे 15000 किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

160. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 459 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किये गये जिन्हें वर्ष 2020-21 हेतु 900 निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस योजना अन्तर्गत स्थानीय निवासियों हेतु बसों के खरीद मूल्य पर 50 प्रतिशत या रू0 15 लाख की सब्सिडी देय होगी। इन बसों को परिवहन निगम के माध्यम से अनुबन्धित कर संचालित किया जायेगा। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 17.50 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
161. सरकार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को उच्चस्तरीय सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु भी प्रयासरत है। बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत टिहरी झील के समग्र पर्यटन विकास हेतु लगभग रू0 1210 करोड़ के ऋण प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। इस पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
162. ए0डी0बी0 पर्यटन के अन्तर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पर्यटन के संवर्द्धन एवं प्रसार हेतु बाह्य सहायतित योजना अन्तर्गत रू0 119 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
163. चारधाम यात्रा 2020 में आने वाले यात्रियों की सुविधार्थ 131 जन सुविधाओं का नवीनीकरण व उच्चीकरण की कार्यवाही की जा रही है। यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के और कदम भी उठाये जा रहे हैं।
164. सरकार हरिद्वार महाकुम्भ 2021 के भव्य एवं ग्रीन कुम्भ की अवधारणा पर आयोजन किये जाने हेतु कृत संकल्प है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में लगभग रू0 1205 करोड़ का प्राविधान



किया गया है। इस महाकुम्भ में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 450 करोड़ के स्थाई एवं 1000 करोड़ के अस्थाई कार्य किये जायेंगे। सरकार का प्रयास है कि विश्व के सबसे बड़े इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से उत्तराखण्ड की संस्कृति से श्रद्धालुओं को परिचित कराते हुए उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके।

165. प्रदेश की ऐतिहासिक एवं पौराणिक लोक सांस्कृतिक विरासत से जनसामान्य का परिचय कराने हेतु देहरादून में राज्य का संस्कृति ग्राम विकसित किया जायेगा।
166. पर्यटन विभाग के अन्तर्गत इस आय-व्ययक में रू0 285.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

### परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

167. राज्य गठन के पश्चात् 19 वर्षों की अवधि में परिवहन विभाग का राजस्व अर्जन रू0 56.00 करोड़ (वर्ष 2000-01) से बढ़कर रू0 797.63 करोड़ पहुंच गया है। उपरोक्त राजस्व वृद्धि कर ढांचे में सरलीकरण एवं प्रभावी प्रवर्तन से सम्भव हो सकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर-2018 तक रू0 672.72 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है, जो गत वर्ष इसी अवधि में वसूल किये गये राजस्व रू0 590.21 करोड़ से 13.98 प्रतिशत अधिक है।
168. राज्य की सड़कों को सुरक्षित बनाये जाने और वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य सड़क सुरक्षा नीति प्रख्यापित की गयी है। सड़क सुरक्षा के कार्यों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किये जाने के लिए 'सड़क सुरक्षा कोष' हेतु रू0 6 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। इसी प्रकार सड़क सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग अन्तर्गत रू0 8.73 करोड़ तथा

लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत रू0 7 करोड़ का प्राविधान इस आय-व्ययक में प्रस्तावित है।

169. वाहनों की तकनीकी जांच कड़ाई से किये जाने तथा वाहनों की फिटनेस में गुणात्मक सुधार हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों से ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में हरिद्वार एवं हल्द्वानी में टेस्टिंग लेन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रस्तावित स्थल हेतु रू0 10.28 करोड़ के प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
170. विभाग के कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत ऑनलाइन कर भुगतान, भार वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने का कार्य, ऑनलाइन आकर्षक पंजीयन नम्बर नीलामी/बुकिंग आदि ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। ई-चालान मोबाइल एप वाहन एवं सारथी के नेशनल पोर्टल से इन्टीग्रेटेड है। सॉफ्टवेयर को जी0पी0एस0 लोकेशन से भी इन्टीग्रेट किया गया है, जिसके माध्यम से चालान के वास्तविक स्थान, समय, तिथि आदि की सूचना स्वतः ही प्रदर्शित होगी। केन्द्र सरकार सहायतित **“Nirbhaya Framework”** के अन्तर्गत वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग हेतु परिवहन विभाग में VLT की स्थापना के लिए रू0 9.36 करोड़ की धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित है।
171. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में भी डिजीलॉकर पर अभिलेखों के रख-रखाव को अधिकृत कर दिया गया है।
172. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण के आधार पर वाहनों को



क्रय करने वाले लाभार्थियों को परिवहन विभाग द्वारा उदार नीति से परमिट जारी किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह दिसम्बर तक राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा कुल 14004 नये परमिट जारी/नवीनीकरण किये गये है। इस प्रकार लगभग 37000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये है।

173. राज्य की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत आपदा राहत, पर्यटन आदि में हैलीसेवाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अन्तर्गत राज्य के कुल 16 स्थानों पर मानकों के अनुसार हैलीपैड बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। भारत सरकार द्वारा अस्थाई रूप से उक्त स्थलों से हैली सेवाएं प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है, जिसके क्रम में देहरादून-गौचर-देहरादून एवं देहरादून-चिन्यालीसौड-देहरादून हेतु हैली सेवाओं का दिनांक 08.02.2020 से संचालन प्रारम्भ किया गया है। शीघ्र ही देहरादून-श्रीनगर-नई टिहरी, हल्द्वानी-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़/धारचूला हेतु भी उक्त योजना के अन्तर्गत हैली सेवा प्रारम्भ की जायेगी। देश की पहली हैलीकॉप्टर समिट का आयोजन देहरादून में किया गया है।
174. जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही हेतु रू0 295 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। इससे राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान स्थापित होगी तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
175. पंतनगर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाये जाने हेतु भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है। चयनित भूमि की उपयुक्तता के संदर्भ में नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्युरिटी द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

176. परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत इस आय-व्ययक में लगभग रू0 592 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

### खेल एवं युवा कल्याण

177. राज्य सरकार खेलों के संदर्भ में देश की सर्वोच्च खेल प्रतियोगिता 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसके दृष्टिगत खेल अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण एवं खेल संस्कृति को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दिशा में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन हेतु इस आय-व्ययक में कुल रू0 90 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।
178. राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विगत 2 वर्षों से खेल महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है। इससे राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक खेलों का बढ़ावा एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। वर्ष 2019-20 के खेल महाकुम्भ में दिव्यांग प्रतिभागियों सहित राज्य के कुल 225000 से अधिक खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में खेल महाकुम्भ हेतु रू0 8 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।
179. खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू0 239.24 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

### आपदा प्रबन्धन

180. आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में समन्वय, सूचनाओं के आदान-प्रदान, प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, आदि सराहनीय कार्यों हेतु राज्य को सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबन्धन पुरस्कार, 2020 प्रदान किया गया है।
181. आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत राज्य को "राज्य आपदा राहत निधि" (SDRF) के अंश के रूप में गतवर्ष लगभग रू0 254 करोड़ की धनराशि



प्राप्त होती थी। उत्तराखण्ड राज्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये आवश्यक सहायता दिये जाने का विषय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य से सहमत होते हुये 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा निधि के अंश में वृद्धि करते हुए इसे प्रतिवर्ष लगभग रू0 1041 करोड़ कर दिया गया है।

182. विश्व बैंक सहायतित नवीन योजना अन्तर्गत रू0 840 करोड़ का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत 64 सेतुओं हेतु रू0 427 करोड़, 15 सड़क सुरक्षा कार्यों हेतु रू0 112 करोड़, 5 नदी तट सुरक्षा कार्यों हेतु रू0 77 करोड़, एवं एस0डी0आर0एफ0, यू0एस0डी0एम0 हेतु रू0 140 करोड़ की धनराशि व्यय करने हेतु आरक्षित की गयी है। इस सम्बन्ध में वर्तमान में पुलों के निर्माण हेतु रू0 99 करोड़ के 22 अनुबन्ध, सड़क सुरक्षा कार्यों हेतु रू0 46 करोड़ के 04 अनुबन्ध, नदी तट कार्यों हेतु रू0 68.81 करोड़ के 05 अनुबन्ध एवं एस0डी0आर0एफ0 भवनों हेतु रू0 144.51 करोड़ के 02 अनुबन्ध सम्पादित किये जा चुके हैं। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 315 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
183. आपदा के कारण होने वाली क्षति के नियमित पर्यवेक्षण के लिए वैब आधारित ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था 'सचेत' का विकास किया गया है। जिसमें आंकड़ों को निरंतर अद्यतन किया जा रहा है। मौसम के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए मुक्तेश्वर में डाप्लर रडार की स्थापना आगामी वित्तीय वर्ष में की जायेगी।
184. राज्य में सरकार के गठन से वर्तमान तक 22 गांव के 619 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। इस हेतु धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है। दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु रू0 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।



185. उत्तराखण्ड राज्य भूकम्प जोखिम क्षेत्र, जोन-5 एवं जोन-4 की परिधि में है। राज्य में आसन्न उच्च भूकम्प जोखिम के दृष्टिगत इसके न्यूनीकरण कार्य हेतु पं० दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत भूकम्प सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूकम्प जोखिम आंकलन, नियमन, असुरक्षित भवनों की सुरक्षा (रिट्रोफिटिंग), भूकम्प सुरक्षा आडिट, भूकम्प पूर्व चेतावनी तंत्र व भूकम्प उपरान्त त्वरित प्रतिवादन आदि कार्य किये जायेंगे।
186. राज्य आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु लगभग ₹0 864 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

### अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण

187. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की समावेशी विकास में पूर्ण भागीदारी हमारी सरकार का मूल मंत्र है। इसके दृष्टिगत उनकी शैक्षिक सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार करते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं यथा छात्रवृत्ति योजनाएं आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना आदि संचालित की जा रही हैं।
188. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सुधारात्मक कार्य किये हैं। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने हेतु प्रत्येक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के दुर्विनियोग व काला बाजारी को रोकने हेतु व End To End Computerization के अन्तर्गत राशन कार्डों का शतप्रतिशत डिजिटाइजेशन कर आधार कार्ड से जोड़ा गया है।
189. Supply chain management के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम गोदामों से लेकर खाद्य विभाग के आन्तरिक गोदाम तक खाद्यान्न प्रेषण को ऑन लाइन जोड़ा जा रहा है। एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन के अन्तर्गत राज्य की



9305 राशन की दुकानों के सापेक्ष 5883 राशन की दुकानों में लैपटॉप आदि सहउपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं। उक्त कार्यों हेतु इस आय-व्ययक में भी समुचित धनराशि का प्राविधान किया गया है।

190. आई0एफ0एम0एस के माध्यम से वर्कस एकाउन्टिंग, भुगतान, ई-स्टाम्प, ई-पेंशन, ई-जीवन प्रमाण पत्र आदि कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार विकास कार्यों में तीव्रता लाने एवं कार्यों को और अधिक सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु वित्तीय नियमों के प्रतिनिधायन को सरलीकृत किया गया है। राज्य की सभी योजनाओं में लाभार्थियों को राज्य सहायता डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
191. राज्य में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन स्वामियों के साथ-साथ अन्य राज्यों से अस्थायी आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले व्यवसायिक स्वामियों को ऑनलाइन कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। ऑनलाईन माध्यम से माह जनवरी, 2019 में लगभग 37.32 प्रतिशत राजस्व ऑनलाइन हुआ था वहीं माह जनवरी, 2020 में यह बढ़कर 68.68 प्रतिशत हो गया है।
192. कारखानों के पंजीयन, नवीनीकरण, लाइसेंस स्वीकृति हेतु सरल व सुगम कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए ऑन-लाइन व्यवस्था लागू की गयी है। व्यवसाय को सुगम बनाये जाने हेतु कारखानों के लाइसेंस का नवीनीकरण अब वार्षिकी के स्थान पर दस वर्ष तक के लिए किये जाने का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं समानता के दृष्टिगत समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की व्यवस्था की गयी है।
193. नेशनल ई-गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना विगत वर्ष माह नवम्बर, 2018 में पूर्ण की गयी, यह डाटा सेंटर देश के अन्य राज्यों की तुलना में अत्याधुनिक तकनीकी (हाईपर कन्वर्ज्ड

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आधारित) से निर्मित है। स्टेट डाटा सेंटर अन्तर्गत वर्तमान में 44 विभागों के सर्वर/विभिन्न एप्लीकेशन होस्ट किये जा चुके हैं। अवगत कराना है कि विभागों के एप्लीकेशन लाईव किये जाने हेतु वर्ष 2019-20 में डाटा सेंटर में 425 टेराबाइट अतिरिक्त स्पेस का प्रावधान किया गया। वर्ष 2020-21 में स्टेट डाटा सेंटर के क्रियान्वयन के साथ-साथ डाटा सेंटर के नियर बैकअप, डिजास्टर रिकवरी प्रावधान तथा डाटा सेंटर में 'सिक्योरिटी संचालन केन्द्र' की स्थापना का लक्ष्य है।

194. आई0टी0 भवन में राज्य सरकार द्वारा एन0टी0आर0ओ0 के सहयोग से ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गयी है जहां निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। पूर्व वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष में भी फरवरी के द्वितीय सप्ताह में ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर के माध्यम से आई0टी0 के क्षेत्र में ड्रोन इनोवेशन हेतु लैब बनायी जा रही है, जिसमें ड्रोन पर शोध, ड्रोन का निर्माण तथा ड्रोन के उपयोग एवं दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।।

195. राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखण्ड ने नये प्रतिमान स्थापित किये हैं। सरकार के गठन से अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में हमारे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। विश्व पटल में आर्थिक मंदी के इस दौर में भी हमारा राज्य देश के आर्थिक रूप सशक्त राज्यों में सम्मिलित है। वित्तीय प्रबन्धन को मजबूत एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य में विश्व बैंक की सहायता से उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन एवं



सुदृढीकरण परियोजना चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रू0 60 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

196. नीति आयोग की 'भारत नवाचार सूचकांक 2019' में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को सर्वश्रेष्ठ तीन राज्यों में शामिल किया गया है। प्रचलित मूल्यों पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर राज्य के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में 198738 रुपये है जो कि देश की प्रति व्यक्ति आय 126406 से कहीं अधिक है।
197. महोदय मैं, सदन को अवगत कराना चाहूंगा की भारत सरकार द्वारा लगभग 12300 करोड़ की देहरादून-दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से देहरादून दिल्ली की यात्रा का समय ढाई से तीन घंटे रह जायेगा एवं राज्य की अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन विकास में एक नया आयाम स्थापित होगा। मैं, इस हेतु भारत सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ।

मान्यवर,

मैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमानों के प्रमुख आकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा।

वर्ष 2020-21 में कुल प्राप्तियाँ रू0 52423.92 करोड़ अनुमानित हैं जिसमें रू0 42439.33 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ तथा रू0 9984.59 करोड़ पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रू0 22418.10 करोड़ है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रू0 8657.35 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रू0 17300.17 करोड़ में कर राजस्व रू0 13760.75 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व रू0 3539.42 करोड़ अनुमानित है।

## व्यय

वर्ष 2020-21 में ऋणों के प्रतिदान पर रू0 3503.31 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में रू0 5892.24 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर लगभग रू0 14673.96 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रू0 1232.63 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रू0 6304 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2020-21 में कुल व्यय रू0 53526.97 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में रू0 42389.67 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू0 11137.30 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है।

## समेकित निधि में घाटा

वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि रू0 49.66 करोड़ का राजस्व सरप्लस सम्भावित है जबकि रू0 7549.74 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

## लोक-लेखा से समायोजन

वर्ष 2020-21 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रू0 460 करोड़ लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

## अन्तिम शेष

वर्ष 2020-21 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष रू0 849.05 करोड़ तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष रू0 6 करोड़ रहना अनुमानित है।



मान्यवर,

अन्त में, मैं, मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

अध्यक्ष महोदय, हमारा यह बजट रोजगार, कमजोर वर्गों का कल्याण, सुशासन एवं शान्ति का बजट है। राज्य के युवाओं की आशाओं, अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस बजट में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। वर्ष 2021 में राज्य महाकुम्भ का साक्षी बनने जा रहा है। इसके सफल आयोजन हेतु इस आय-व्ययक में शहरी विकास विभाग, पुलिस एवं होमगार्ड अन्तर्गत धनराशि प्रस्तावित की गयी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल संचालन हेतु सरकार की प्रतिबद्धता भी इस आय-व्ययक से परिलक्षित होती है। हमारी सरकार के पूर्व आय-व्ययकों की भांति कृषक, महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य, निवेश भी इस बजट के मुख्य बिन्दु हैं। निश्चित यह बजट जनसामान्य की आकांक्षाओं को सार्थक करने में सफल होगा।

मान्यवर, भारतीय राजनीति की वे महान विभूतियां जो गत वर्ष हम को अलविदा कह गयीं एवं इस सदन के प्रकाश पुंज स्व० श्री प्रकाश पंत जी का भी मैं इस अवसर पर स्मरण एवं नमन करता हूँ।

उत्तराखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मुझे आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। मुझे यह आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास भी है कि आप सभी के सहयोग, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से हम राज्य की महान विभूतियों के

सफल, सबल एवं सक्षम उत्तराखण्ड राज्य के स्वप्न को साकार कर सकेंगे।  
इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करता  
हूँ।

परहित अर्पित अपना तन-मन।  
जीवन को शत-शत आहुति में।।  
जलना होगा, गलना होगा।  
कदम मिलाकर चलना होगा।।

14 फाल्गुन, शक सम्वत् 1941

तदनुसार

04 मार्च, 2020